

कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, खगड़िया।

शाखा :- कार्यालय जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, (स्थापना) शिक्षा विभाग, खगड़िया।
अनुमंडल परिसर, खगड़िया (851204)

-: कार्यालय आदेश :-

अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक-593 दिनांक 23.06.2021 में प्राप्त निदेश के आलोक में दिनांक-11.06.2021 से 25.06.2021 तक दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के आवेदन प्राप्त नहीं है, वैसे नियोजन इकाईयों की काउन्सिलिंग की तिथिवार सूची निम्न प्रकार निर्धारित की जा रही है।

नगर नियोजन इकाई की सूची।

क्रमांक	काउन्सिलिंग की तिथि	नियोजन इकाई का नाम	वर्ग	काउन्सिलिंग के लिए निर्धारित स्थान	(काउन्सिलिंग को सफल संचालन करने हेतु नोडल पदाधिकारी का नाम)
01	05.07.2021	नगर परिषद्, खगड़िया। नगर पंचायत गोगरी।	(VI-VIII)	जे०एन०के०टी० इंटर विद्यालय, खगड़िया।	(जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, खगड़िया)
02	06.07.2021	नगर परिषद्, खगड़िया। नगर पंचायत गोगरी।	(I-V)	जे०एन०के०टी० इंटर विद्यालय, खगड़िया।	(जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, खगड़िया)

पंचायत नियोजन इकाई की सूची।

क्र०	काउन्सिलिंग की तिथि	प्रखंड	पंचायत नियोजन इकाई का नाम	कुल पंचायत की संख्या	काउन्सिलिंग के लिए निर्धारित स्थान	(काउन्सिलिंग को सफल संचालन करने हेतु नोडल पदाधिकारी का नाम)
01	12-07-2021	खगड़िया	धुसमरी विशनपुर, बरैय, बछैता, कासिमपुर, मथुरापुर, रहीमपुर उत्तर, रहीमपुर मध्य, रंको, रानीसकरपुरा, रसौंक, तेतराबाद, जहाँगीरा, ओलापुर गंगौर, गौड़ाशक्ति, लाभगाँव, जलकौड़ा, उत्तर माड़र, भदास दक्षिणी, सन्हौली, माड़र उत्तरी एवं माड़र दक्षिणी,	कुल-21	जे०एन०के०टी० इंटर विद्यालय, खगड़िया।	(जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मा०शि० एवं साक्षरता, खगड़िया।)
02		अलौली	शहरबन्नी, शुम्भा, बहादुरपुर, बाध चातर, मेघौना, सिमराहा, छिलकौड़ी, हरिपुर, हथवन, रामपुर अलौली,	कुल-10	मध्य विद्यालय अलौली	(जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रा०शि० एवं समय शि०अभि०, खगड़िया)
03		मानसी	रौन, सहसी, दहमा खैरीखुटहा, चाँदपुरा खूर्द, चेराखेरा, अम्बा इचरुआ, अलौली, गोरियामी, गौड़ाचक, भिखारी घाट,	कुल-10	उच्च विद्यालय अलौली।	(जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, योजना एवं लेखा, खगड़िया।)
04		चौथम	अमनी, बलहा, खुटिया, पश्चिम ठाठा, पूर्वी ठाठा एवं चकहुसैनी	कुल-06	जनता उच्च विद्यालय मानसी।	(जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, योजना एवं लेखा, खगड़िया।)
05		बेलदौर	तेलौच, सरसवा, रोहियार, पूर्वी बोरने, पश्चिम बोरने, पिपरा, मध्य बोरने, बुच्चा, धुतौली एवं हरदिया	कुल-10	मध्य विद्यालय प्रखंड कॉलौनी, चौथम।	(जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, खगड़िया।)
06		गोगरी	बेलदौर, पचौत, बलैठा, डुमरी, माली, पीरनगरा, बेलानवाद, कंजरी, तेलिहार, बोबिल, कुर्वन, दिघौन, इतमादी, महिनाथनगर एवं चौदली	कुल-15	गाँधी इंटर विद्यालय, बेलदौर।	बी०ई०ओ० बेलदौर।
07		परबत्ता	इटहरी, बासूदेवपुर, रामपुर, गौछरी, शेरचकला, पसरहा, दक्षिण जमालपुर, गोगरी, राटन, बलतारा, झिकिटिया, बन्नी, समसपुर, पैकांत, पौरा, मदारपुर, पकरैल, मैरा एवं कोयला	कुल-19	मध्य विद्यालय श्रीशिरनियों गोगरी।	बी०ई०ओ० गोगरी।
07	परबत्ता	सौढ़ उत्तरी, सौढ़ दक्षिणी, खजरैठा, बन्देहरा, महदीपुर, भरसों, कुल्हरिया, लगा, बैसा, कबेला, दरियापुर भेलवा, पीपरा लतीफ, गोविन्दपुर, खीराडीह, रामपुर उर्फ रहीमपुर, तेमथा करारी, परबत्ता, माधवपुर एवं सियादत्तपुर अगुवानी	कुल-20	मध्य विद्यालय परबत्ता।	बी०ई०ओ० परबत्ता।	

1. प्रत्येक नियोजन इकाई द्वारा काउन्सिलिंग के दिन अपराह्न 5:00 बजे तक रिक्त पदों के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी करते हुए उसकी सूचना जिला मुख्यालय को देंगे।
2. उक्त काउन्सिलिंग में चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति से संबंधित मूल प्रमाण-पत्रों यथा मैट्रिक का अंकपत्र एवं प्रमाण-पत्र, इंटर का अंकपत्र एवं प्रमाण-पत्र, स्नातक का अंकपत्र एवं प्रमाण-पत्र, शिक्षक प्रशिक्षण का अंकपत्र एवं प्रमाण-पत्र, टी0ई0टी0 उत्तीर्णता प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र (यथा आवश्यक), आवासीय प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जायेगा। प्रत्येक काउन्सिलिंग के अगले दिन नियोजन इकाई चयनित अभ्यर्थियों के सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण-पत्र अपने जिला के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, (स्थापना) को उपलब्ध करायेंगे। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, (स्थापना) द्वारा उक्त सभी प्रमाण-पत्रों को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराकर उनका सत्यापन सक्षम प्राधिकार से कराना सुनिश्चित करेंगे। सत्यापन के उपरान्त नियोजन इकाई द्वारा चयनित अभ्यर्थियों का नियोजन पत्र निर्गत किया जायेगा। चयनित अभ्यर्थियों के सभी प्रमाण-पत्रों का संधारण नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण होने पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, (स्थापना) द्वारा किया जायेगा।
3. किसी अभ्यर्थी के द्वारा डुप्लीकेट प्रमाण-पत्र के आधार पर एक से अधिक नियोजन इकाईयों में नियोजन का प्रयास किया जायेगा। तो उसका अभ्यर्थित्व किसी भी नियोजन इकाई अन्तर्गत नियुक्ति हेतु निरस्त कर दिया जायेगा।
4. काउन्सिलिंग स्तर पर Covid-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
खगड़िया।

झापांक.....1370...../खगड़िया,दिनांक.....30.6.21.....

प्रतिलिपि:- NIC प्रभारी पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
अनुरोध है कि उक्त आदेश को जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि:-निदेशक, प्रा0शि0, बिहार, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
खगड़िया।

30.6.21